

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रा.शि.)राजस्थान बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-प्रारं/नि.प्र./नियु.2/982/शि.भ.-18/लेवल-I/वो-II/2018

दिनांक: 12.2.19

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद समस्त।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
स्कूल शिक्षा, समस्त जिले।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा (मुख्यालय)
समस्त जिले।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा (मुख्यालय)
समस्त जिले।

विषय :- शिक्षक भर्ती 2018 लेवल-प्रथम में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्तियां प्रदान करने हेतु आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम में भाग लेने हेतु।

महोदय,

राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2018 लेवल- प्रथम में चयनित पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्तियां/पदस्थापन दिए जाने के संबंध में माननीय शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में दिनांक 13.02.2019 को प्रातः 10:30 बजे शिक्षा संकुल स्थित (ब्लॉक नं. 6) एन.आई.सी. के वी.सी. कक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया जाएगा इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप समस्त अधिकारी अपने जिले के एन.आई.सी. केन्द्र में स्थित वी.सी. कक्ष में पूर्ण तैयारी के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम में भाग लेवे।

उक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम में निम्न अधिकारियों की उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।


निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज(प्रा.शि.)विभाग,
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-प्रारं/नि.प्र./नियु.2/982/शि.भ.-18/लेवल-I/वो-II/2018

दिनांक: 12.2.19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. उपायुक्त (शाला दर्पण), स्कूल शिक्षा परिषद शिक्षा संकुल, जयपुर।
6. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. केन्द्र, शिक्षा संकुल, जयपुर।
6. केयरटेकर को प्रति प्रेषित कर लेख है कि वीसी कार्यक्रम हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करे।
7. कार्यालय प्रति।


निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज(प्रा.शि.)विभाग,
राजस्थान बीकानेर